कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,म.प्र.
जल भवन, बाणगंगा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल–462003
दूरभाष : (0755) 2779411, 2779412 ईमेल : encph@nic.in, बेवसाईट : www.phed.mp.gov.in

2025 International Year of Cooperatives

क्रमांक 255/(स्था.)राज/प्र.अ./लोस्वायाँवि/2025 भोपाल, दिनांक 27-06-2025

// परिपत्र (Circular)//

नलजल योजनाओं की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आईटी पीएमयू के माध्यम से 'Digital MPPHED' के अंतर्गत Project Monitoring & Information System (PMIS) को विकसित किया गया है जिससे नलजल योजनाओं की भौतिक, वित्तीय एवं सामयिक प्रगति को मॉनिटर किया जा सकेगा।

इस सिस्टम के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं :–

- **Project Monitoring & Information System (PMIS) की उपलब्धता:–**

  यह सिस्टम www.phed.mp.gov.in/digitalmpphed पर उपलब्ध है, साथ ही विभागीय नवीन वेबसाइट www.phed.mp.gov.in पर उपलब्ध 'Digital MPPHED' की डॉयरेक्ट लिंक की मदद से भी इसे एक्सेस किया जा सकता है।

  विभागीय अधिकारी अपनी यूजर–आईडी (अधिकृत ईमेल–आईडी) एवं पासवर्ड से 'Digital MPPHED' पर लॉगिन कर Project Monitoring & Information System को एक्सेस कर सकेंगे। समस्त विभागीय कार्यालयों को इस पोर्टल पर लॉगिन करने हेतु आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध करा दिये गये हैं।

- **Project Monitoring & Information System (PMIS) में नलजल योजनाओं की जानकारी की प्रविष्टि :–**

  Project Monitoring & Information System में संबंधित खण्ड के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों को रजिस्टर कर उन्हें ब्लॉक, पंचायत एवं ग्रामों का आवंटन किया जाएगा जिसके पश्चात् नलजल योजनाओं की विभिन्न जानकारियों की प्रविष्टि संबंधित उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों द्वारा नियमित रूप से अद्यतन की जावेगी। इस सिस्टम में केन्द्र सरकार के JJM Portal (ejalshakti.gov.in) पर उपलब्ध योजनाओं की विभिन्न जानकारियाँ API के माध्यम से प्राप्त की जाकर पूर्व से प्रविष्ट की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का अपडेशन किया जाना संभव नहीं है। उक्त जानकारी के अतिरिक्त इस सिस्टम में पूर्व से दर्ज जानकारियों का परीक्षण कर, योजना से संबंधित शेष जानकारी की प्रविष्टि सहायक यंत्रियों एवं उपयंत्रियों द्वारा की जावेगी जिसका Approval संबंधित खण्ड के कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जावेगा।

क्रमशः–2

- **Project Monitoring & Information System (PMIS) अंतर्गत योजनाओं की जानकारियों की प्रविष्टि हेतु विकसित विभिन्न फॉर्मः—**

(1) Form A (ग्राम की सामान्य जानकारी):— इस फॉर्म अंतर्गत योजना जिस ग्राम में स्थापित है उस ग्राम की विभिन्न जानकारियाँ जैसे जिला, विकासखण्ड (ब्लॉक) एवं पंचायत का नाम, ग्राम में निवासरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की जनसंख्या की जानकारी, निवासरत परिवारों, बसाहटों की संख्या, ग्राम में स्थापित स्कूलों, बालवाड़ियों एवं आंगनवाड़ियों की जानकारी के साथ उनमें नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता आदि के विषय में विवरण उपलब्ध है। इस फॉर्म में निहित सभी डाटा ejalshakti के JJM पोर्टल से सीधे प्राप्त हो रहे है, इन सभी जानकारियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।

(2) Form B (योजना का विवरण):— इस फॉर्म अंतर्गत योजनाओं के सामान्य विवरण से जुड़े प्रश्नों को समाहित किया गया है जिनमें से कुल प्रस्तावित FHTC की संख्या, योजना की कुल लागत एवं प्रति एफएचटीसी लागत जैसे प्रश्नों का डाटा सीधे JJM पोर्टल से प्राप्त हो रहा हैं, शेष प्रश्नों में पूर्व से प्रविष्ट जानकारी का परीक्षण कर जानकारी की प्रविष्टि की जानी हैं।

(3) Form C (योजना के मुख्य अवयवों से संबंधित जानकरियाँ):— इस फॉर्म के अंतर्गत योजना के मुख्य अवयवों जैसे स्त्रोत, पंपिंग मेन, संपवेल—पंपहाऊस, डिस्इन्फेक्शन यूनिट, आरसीसी ओएचटी, एचडीपीई टैंक—स्टेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एफएचटीसी कनेक्शन आदि से संबंधित विभिन्न जानकारियों की प्रविष्टि की जाना है।

(4) Form D (योजना की स्वीकृति):— इस फॉर्म अंतर्गत स्वीकृत की गई योजनाओं से संबंधित विभिन्न जानकारियों जैसे कुल स्वीकृत लागत, DWSM स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक, तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति से संबंधित विभिन्न जानकारियों की प्रविष्टि की जाना है।

(5) Form E (निविदा संबंधी जानकारियाँ):— इस फॉर्म अन्तर्गत निविदा आमंत्रण से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ जैसे निविदा आमंत्रण दिनांक, निविदा स्वीकृति पत्र क्रमांक एवं दिनांक आदि की प्रविष्टि की जानी है। अनुबंध दिनांक एवं कार्यारम्भ दिनांक की जानकारी JJM पोर्टल से सीधे प्राप्त हो रही हैं, शेष प्रश्नों में पूर्व से प्रविष्ट जानकारी का परीक्षण कर जानकारी की प्रविष्टि की जानी हैं।

(6) Form F (ठेकेदार से संबंधित जानकारी):— इस फॉर्म अंतर्गत ठेकेदार से संबंधित विभिन्न जानकारियों जैसे नाम, पीडब्यूडी पंजीकरण क्रमांक, दूरभाष क्रमांक, ईमेल आईडी आदि की प्रविष्टि की जानी है।

(7) Form G (योजनाओं की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति से संबंधित जानकारियाँ):— इस फॉर्म अंतर्गत योजनाओं की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति से संबंधित कुछ जानकारियाँ ejalshakti के JJM पोर्टल से सीधे प्राप्त हो रही हैं, इन जानकारियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है, अन्य

क्रमशः—3

जानकारियों जैसे कुल वास्तविक लागत, वास्तविक व्यय और कुल व्यय आदि की प्रविष्टि की जानी है।

(8) Form H (रिर्पोटिंग एवं प्रमाणीकरण):– इस फॉर्म अंतर्गत FHTC की प्रगति, रिर्पोटिंग एवं प्रमाणीकरण, ग्राम सभा प्रस्ताव की तिथि, ट्रायल–रन, योजना के हस्तांतरण से संबंधित जानकारी की प्रविष्टि की जानी है।

(9) Form J (राजनीतिक परिदश्य से संबंधित जानकारी):– इस फॉर्म अंतर्गत योजना से संबंधित संसदीय क्षेत्र एवं विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न जानकारियों की प्रविष्टि की जानी है।

'प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एवं इनफार्मेशन सिस्टम' के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश (User Manual) संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

उपरोक्तानुसार विकसित **'प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एवं इनफार्मेशन सिस्टम'** को विभाग में दिनांक 27.6.2025 से लागू किया जाता है तथा इस सिस्टम के लागू होने के उपरांत आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों तथा इनके संबंध में प्राप्त होने वाले सुझावों के अनुसार आवश्यक संशोधन उक्त सिस्टम में किए जायेंगे।

27/6

(संजय कुमार अंधवान)
प्रमुख अभियंता

प.क्रमांक 5382 /आईटी/प्र.अ./लोस्वायॉवि/2025 भोपाल, दिनांक 27/6/25

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र शासन, लो.स्वा.यां. विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग समस्त परिक्षेत्र सिविल एवं वि./यां. परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, समस्त मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, समस्त खण्ड सिविल एवं वि./यां. मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आदेश नस्ती।

27/6

प्रमुख अभियंता